पूर्व मध्य रेल
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
पोलसन कॉम्पलेक्स, दीघाघाट, पटना
वेबसाइटः www.rrcecr.gov.in
हेल्पलाइन दूरभाष संख्याः 0612.2560029, 2560035

रोजगार सूचना सं. आरआरसी/ईसीआर/जीपी 1800/1/2013

जारी करने की तिथिः **02.09.2013**
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथिः **14.10.2013, 18.00 बजे तक.**

आसाम, मेघालय, मणीपुर, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहोल एवं स्पिति जिले एवं चंबा जिले का पांगी सब–डिविजन तथा अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप समूह के निवासियों के लिए अंतिम तिथि : 29.10.2013, **18.00 बजे तक.**

<u>ग्रेड वेतन रू. 1800/– सहित रू. 5200–20200/– के पे बैंड–1 में पदों के लिए खुली भर्ती</u>

आवश्यक सूचना

उम्मीदवार ध्यान दें कि सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा ग्रेड वेतन रू. 1800/– के पदों में भर्ती के लिए अलग–अलग अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है. सभी रेलों द्वारा चयन प्रक्रिया एक साथ ही आयोजित की जायेगी, जिसके लिखित परीक्षा की तिथि एक ही होगी. उम्मीदवार किसी भी अधिसूचना हेतु आवेदन करने से पूर्व इस बात को ध्यान में रखें.

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पटना भारत के नागरिकों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योग्य घोषित किए गए ऐसे अन्य उम्मीदवारों से पूर्व मध्य रेल में ग्रेड वेतन रू. 1800/– सहित रू. 5200–20200/– के पे बैंड–1 में निम्नलिखित पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है.

1. पदों का नाम एवं रिक्तियॉ जिनके लिए भर्ती की जानी हैः

कम संख्या	पद	वेतनमान	चिकित्सकीय कोटि	रिक्तियां					भूतपूर्व सैनिक कोटा	विकलांग कोटा		
				अना.	अपिव	अजा	अजजा	कुल		दृ.वि.	श्र.वि.	शा.वि.
1	पोर्टर	पे बैंड रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन रू. 1800/ (पूर्व के ग्रुप 'डी' पद)	ए–2	458	245	136	79	918	184	.	.	.
2	ट्रैकमैन		बी–1	815	436	242	121	1614	323	.	.	.
3	हेल्पर–II (यांत्रिक)		बी–1	493	264	146	73	976	195	.	.	.
4	हेल्पर–II (एस एंड टी)		बी–1	185	99	55	27	366	73	.	.	.
5	हेल्पर–II (विद्युत)		बी–1	146	79	44	22	291	58	.	.	.
6	ग्रुप 'डी' (इंजी.)		बी–1	237	127	70	35	469	94	.	.	.
7	ग्रुप 'डी' (भंडार)		सी–1	10	6	3	2	21	4	.	.	.
	कुल			2344	1256	696	359	4655	931	47	47	47

<u>प्रयुक्त संक्षिप्तियॉः</u>

अजा.–अनुसूचित जाति, अजजा.–अनुसूचित जनजाति, अपिव–अन्य पिछड़ा वर्ग, अना.– अनारक्षित, पीडब्ल्यूडी.–विकलांग व्यक्ति, शा.वि.–शारीरिक विकलांग, दृ.वि.–दृष्टि विकलांग, श्र.वि.–श्रवण विकलांग, अ.वि.–अस्थि विकलांग, सीओई. –उत्कृष्टता केन्द्र, पीईटी–शारीरिक दक्षता जांच, रेलवे बोर्ड का आशय रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली से है.

<u>महत्वपूर्ण टिप्पणीः</u>

(I) रिक्तियों की संख्या अनंतिम है. प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं रेलवे बोर्ड के निदेशानुसार कोटियों एवं समुदायों के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या घट–बढ सकती है.

(II) पूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियॉ भी इस अधिसूचना में शामिल की गयी है.

(III) उपर्युक्त रिक्तियों में प्रत्येक ओएच, वीएच और एचएच के लिए 1 प्रतिशत की दर से 3 प्रतिशत पीएच कोटा शामिल है. परन्तु, जिन पदों पर पीएच कोटा के चयनित उम्मीदवारों की अंतिम रूप से नियुक्ति की जायेगी, उनका निर्धारण रेलवे बोर्ड द्वारा परिचालित विनिर्दिष्ट कोटियों की सूची के अनुसार किया जायेगा.

2. **<u>पात्रता मानदंडः</u>**

2.1 **<u>न्यूनतम शैक्षिक योग्यताः</u>**

उम्मीदवारों को **10वीं पास या आईटीआई /उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)** या समकक्ष होना चाहिये. <u>आवेदन तिथि को 10वीं/ आईटीआई /उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) या समकक्ष की अंतिम परीक्षाओं में शामिल होने वाले एवं/या परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नही हैं.</u> शैक्षिक योग्यता मान्यताप्राप्त संस्थानों /बोर्डों से प्राप्त होनी चाहिए अन्यथा पात्रता रद्द कर दी जायेगी.

2.2 **<u>आयु सीमाः</u>**

2.2.1 भर्ती के लिये निम्नतम आयुसीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयुसीमा 33 वर्ष है. आयुसीमा की गणना **दिनांक 01.01. 2014** के आधार पर की जाएगी.

2.2.2 निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कोटियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में निम्न सीमा तक रियायत है :–

(i) अजा/अजजा के उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष तक.

(ii) अपिव समुदाय उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष तक।

(iii) 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य में मूल रूप से अधिवासित उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष तक.

(iv) शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्तियों (पी डब्लू डी) के लिए – अना. के लिए 10 वर्ष, अपिव के लिए 13 वर्ष और अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष.

(v) भूतपूर्व सैनिकों के लिए– सैनिक सेवा + 03 वर्ष वशर्ते कम से कम छह माह की लगातार अनुप्रमाणित सेवा पूरी की गई हो.

(vi) सेवारत रेलवे कर्मचारी और आकस्मिक मजदूर/एवजी, अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष, अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष एवं अपिव उम्मीदवारों के लिए 43 वर्ष, वशर्ते कि उन्होंने 03 वर्ष की न्यूनतम सेवा (निरंतर या भंग अवधि) में पूरी कर ली हो. रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीनों, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत वैसे कर्मचारियों को उपरी आयु सीमा में समुदायवार रियायत उनके द्वारा प्रदान की गयी सेवा अवधि तक दी जाएगी जो कि अधिकतम 5 वर्ष तक होगी.

(vii) विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रुप से जुदा महिलाओं परन्तु पुनः विवाहित नही, के मामले में ऊपरी आयु सीमा में रियायत अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अपिव के 38 वर्ष एवं अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष होगी.

(viii) उन पदों जिनकी न्यूनतम योग्यता एक्ट अप्रैंटिसशीप कोर्स पूर्ण की हुई हो, के लिए आवेदन करने वाले एक्ट अप्रैंटिस पूर्ण कोर्स की स्थिति में ऊपरी आयु में रियायत अप्रैंटिसशीप एक्ट 1961 के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए अप्रैंटिस प्रशिक्षण की अवधि सीमा तक होगी.

2.2.3 **निम्नतम आयुसीमा में कोई छूट नहीं होगी.**

2.2.4 **<u>आयु–प्रमाणः</u>**

बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाणपत्र या स्कूलों के निरीक्षक/हेडमास्टर/जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र.

3. **आवेदन शुल्क** :–

(I) **''सहायक कार्मिक अधिकारी (आरआरसी), रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल'' के पक्ष में रू. 100/– (एक सौ रुपये. मात्र) का क्रास्ड भारतीय पोस्टल आर्डर जो पटना में देय होगा.** किसी भी अन्य रूप में प्रेषित परीक्षा शुल्क स्वीकार नही किया जायेगा और इसी आधार पर आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा. भारतीय पोस्टल आर्डर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पहले निर्गत किया हुआ नही होना चाहिये.

(II) उम्मीदवारों को अपना नाम एवं पता भारतीय पोस्टल आर्डर (आई.पी.ओ) पर दिये गये स्थान पर लिखना चाहिये. परीक्षा शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा और किसी भी परिस्थिति में इसका समायोजन किसी अन्य परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा.

3.1 **निम्नलिखित श्रेणियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गयी है** :–

(i) अजा/अजजा समुदायों के उम्मीदवार.
(ii) महिला उम्मीदवार.
(iii) अल्पसंख्यक समुदायों (नीचे पैरा 3.2 में वर्णित समुदाय) के उम्मीदवार.
(iv) आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50,000/– से कम हो.
(v) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति या शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार.
(vi) भूतपूर्व सैनिक.

3.2 अल्पसंख्यक का अभिप्राय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्व और जोराष्ट्रीयन (पारसियों) से है. परीक्षा शुल्क से छूट के लिए दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को, आवेदन पत्र के साथ **परिशिष्ट–7** में दिये गये प्रारुप में स्व –घोषणा करनी चाहिए. परीक्षा शुल्क से छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय, '**अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा** ' अर्थात वह उपर्युक्त किसी एक समुदाय का है, से सबंधित शपथ पत्र गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा. दस्तावेजों के सत्यापन के समय शपथ पत्र नही प्रस्तुत किये जाने पर, पात्रता अस्वीकृत कर दी जायेगी.

3.3 आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों का अभिप्राय उन उम्मीदवारों से है जिनके परिवार की वार्षिक आय रु. 50,000/– से कम है. ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ, जारी करने वाले अधिकारी के लेटर हेड/पैड पर आय प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा. जिसका प्रारूप **परिशिष्ट–8** पर दिया गया है. दस्तावेजों के सत्यापन के समय मूल आय प्रमाण–पत्र नहीं प्रस्तुत किये जाने पर पात्रता अस्वीकृत कर दी जाएगी.

3.4 **शारीरिक रुप से अशक्त व्यक्ति (पीडब्लयूडी)**

शारीरिक अशक्तता की परिभाषा :–

(क) अंधापन: अंधापन का तात्पर्य उस स्थिति से है जहॉ कोई व्यक्ति निम्न में से किसी एक से पीड़ित हो, जैसेः– (i) पूर्ण अंधापन या (ii) करेक्टिंग लेंस के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से अधिक नहीं हो या (iii) दृष्टि अंतरण का क्षेत्र 20 डिग्री या उससे कम कोण तक सीमित.

(ख) कमजोर दृष्टिः कमजोर दृष्टि वाले व्यक्ति का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे उपचार या मानक अपवर्तक सुधार के बाद भी दृष्टि कार्यदक्षता अक्षम हो, लेकिन जो उपयुक्त सहायक यंत्र से किसी कार्य की योजना बनाने या इसका निष्पादन करने में संभावित रूप से सक्षम हो.

(ग) श्रवण अदक्षताः 'श्रवण अदक्षता' का तात्पर्य बातचीत की आवृत्ति क्षेत्र में बेहतर कान में 60 डेसिबल या उससे अधिक की क्षति

(घ) (i) **लोकोमोटर अशक्तताः** लोकोमोटर अशक्तता का तात्पर्य है हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता जिससे अंगों का संचालन बाधित हुआ हो या किसी प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी

(ii) **सेरेब्रल पाल्सीः** 'सेरेब्रल पाल्सी' का तात्पर्य है कि विकास के समय किसी व्यक्ति की अविकसित अवस्थाएं जो जन्म से पूर्व, शैशव काल में मस्तिष्क में चोट या आघात के कारण अस्वाभाविक मोटर कंट्रोल मुद्रा के रूप में परिलक्षित है.

(iii) **अस्थिजनित विकलांगता** : अस्थिजनित विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के सभी मामले 'लोकोमोटर अशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी' कोटि के अंतर्गत आएगें.

(ड़) आरक्षण के लिए शारीरिक अशक्तता की सीमाः केवल वैसे व्यक्ति पदों के लिए आरक्षण के पात्र होंगे **जिनकी सम्बद्ध अशक्तता 40 प्रतिशत से कम नहीं हो** जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें परिशिष्ट–5 में दिये गये प्रपत्र में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

(च) **शारीरिक अशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी**: शारीरिक अशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् गठित चिकित्सा बोर्ड होगा, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक उस विशेष क्षेत्र जैसे, लोकोमीटर/सेरेब्रल/दृष्टि/श्रवण अशक्तता या जैसी भी स्थिति हो, का आकलन करने वाला विशेषज्ञ होगा.

(छ) **दृष्टि विकलांग उम्मीदवार**– उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित हुई है, वे लिखित परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए **प्रतिलेखक (स्क्राइब)** की सहायता प्राप्त कर सकते हैं. **परिशिष्ट–6** के अनुसार, प्रतिलेखक

का उपयोग करने के लिए उम्मीदवारों को समुचित रूप से रेल भर्ती प्रकोष्ठ को पहले से सूचित करना होगा. प्रतिलेखक का उपयोग निम्न शर्तों के अधीन होगाः–(i) उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान स्वयं के खर्च पर स्वयं अपने प्रतिलेखक की व्यवस्था करनी होगी. वैसे उम्मीदवारों के प्रतिलेखक को एक अलग प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा. प्रवेश पत्र में प्रतिलेखक का पूर्ण विवरण एवं उनके द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित फोटो लगा होगा. (ii) प्रतिलेखक की शैक्षिक योग्यता भर्ती किये जाने वाले पद हेतु निर्धारित योग्यता से एक ग्रेड कम होगी (iii) उम्मीदवारों के साथ–साथ प्रतिलेखक को एक उपर्युक्त घोषणा पत्र (परिशिष्ट–6) अपने आवेदन पत्र के साथ देना होगा, जो प्रतिलेखक के लिए उपर्युक्त निर्धारित सभी पात्रता मानदंड को प्रतिलेखक पूरा करता है, की पुष्टि करता हो. यदि बाद में पता चलता है कि वह किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है या वास्तविक तथ्यों को छिपाया है तो उम्मीदवार की पात्रता निरस्त मानी जाएगी, चाहे परीक्षा का परिणाम कुछ भी हो. दृष्टि विकलांग उम्मीदवार अपने द्वारा लाए गए प्रतिलेखक की ओर से होने वाले किसी प्रकार के कदाचार के लिए उत्तरदायी होगा. दृष्टि विकलांग उम्मीदवार या वैसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी द्वारा प्रभावित हुई हो, को अपने आवेदन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना होगा.

(ज) सभी एक नेत्र वाले उम्मीदवार और अन्य दृष्टि विकलांग उम्मीदवार जिनकी दृष्टि अशक्तता 40% से कम हो, उन्हें विकलांग व्यक्ति नहीं समझा जाएगा और प्रतिलेखक उपयोग करने का प्रावधान उनके साथ लागू नहीं होगा.

(झ) **चिकित्सा जांचः** सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के समय रेल चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच की जाएगी और केवल वैसे उम्मीदवार जो भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल में निर्धारित मानकों तथा यथा स्थिति अन्य प्रचलित प्रावधानों को पूरा करने वाले ही नियुक्ति के पात्र होगें.

4. **<u>भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार</u>ः**

इस रोजगार सूचना में कुछ कोटियों के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियॉं आरक्षित है भले ही उनका समुदाय कुछ भी हो. भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है (क)जिन्होने भारतीय संघ की सेना, नौ सेना या वायुसेना में किसी भी रैंक में (युद्वक या गैर युद्वक) सेवा की है लेकिन इसमें वे व्यक्ति शामिल नहीं है जिन्होनें रक्षा सुरक्षा कोर, सामान्य आरक्षित इंजीनियरींग फोर्स, लोक सहायक सेना तथा अर्द्व सैनिक बलों में काम किया है तथा वे पेंशन प्राप्त करने के उपरांत ऐसी सेवाओं से सेवानिवृत हुए है या (ख) उन्हें ऐसे किसी चिकित्सा आधार पर सेवा से मुक्त किया गया है जो कि सैन्य सेवा में बाधक है या उसके नियंत्रण के बाहर की स्थिति हो गई हो तथा उन्हें सैन्य सेवा या अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई है या (ग) उन्हें ऐसी स्थापना से कटौती के कारण उसके स्वयं के अनुरोध पर कार्यमुक्त किया गया हो या (घ) संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत व्यक्ति जो सेवानिवृत के उपरांत भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आ जाएंगें, उनकी विनिर्दिष्ट कार्यवधि के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार हेतु आवेदन करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी छूटों का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन उन्हें तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे संघ की सशस्त्र सेनाओं में विनिर्दिष्ट सेवा अवधि को पूरा नहीं कर लेते है. ऐसी सभी सेना कर्मी जो 01.09.2014 को या इससे पूर्व सैन्य सेवा से कार्यमुक्त होने वाले हैं, इस रोजगार सूचना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं.

(i) भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन प्रपत्र में समुदाय सहित सभी अपेक्षित विवरण का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए तथा सभी अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण–पत्र संलग्न करना चाहिए, हालांकि भूतपूर्व सैनिकों पर, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, केवल भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत विचार किया जाएगा.

(ii) उन भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को जिन्होनें केन्द्र सरकार में वर्ग 'घ' में भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत पहले ही रोजगार प्राप्त कर चुकें है. ऐसे उम्मीदवारों को केवल आयु में छुट प्रदान की जाएगी तथा उन पर भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत विचार नहीं किया जाएगा.

5. **<u>आवेदन की प्रकियाः</u>**

5.1 उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र इस अधिसूचना के **<u>परिशिष्ट–1</u>** में संलग्न **प्रारूप में** हिन्दी या अंग्रेजी में प्रस्तुत करना चाहिए. वैसे आवेदन पत्र जिसके प्रारूप में कोई परिर्वतन हो, अस्वीकृत कर दिये जाएंगे.

5.2 आवेदन पत्र अच्छी गुणवता वाले ए–4 साइज के बांड सफेद पेपर पर **केवल एक तरफ** प्रयोग करते हुए होना चाहिए. <u>समाचार पत्र की कटिंग (कतरन) का प्रयोग आवेदन पत्र के रूप में नहीं किया जाना चाहिए</u>.

5.3 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र उपर्युक्त विनिर्देशनों के अनुरूप एकल शीट (पत्रक) पर हो. एक से अधिक पन्नों में किए गए आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा. किसी अन्य स्त्रोत से मुद्रित आवेदन पत्र का प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप है. आवेदन पत्र (परिशिष्ट–1) आरआरसी की वेबसाइट-www.rrcecr.gov.in से भी डाउनलोड कर मुद्रित किया जा सकता है.

5.4 उम्मीदवारों को हिन्दी या अंग्रेजी में <u>अपनी लिखावट में</u> आवेदन पत्र भरना चाहिए तथा इसके लिए केवल <u>ब्लू (नीली) या ब्लैक (काली) बॉल प्वाइंट पेन</u> का प्रयोग करना चाहिए.

5.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के **परिशिष्ट–2** में दिए गए प्रपत्र में समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए.

5.6 अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के **परिशिष्ट–3** में दिए गए प्रपत्र में समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, इसके अलावा अपिव उम्मीदवारों को **परिशिष्ट–4** में दिए गए प्रपत्र में गैर–क्रिमीलेयर स्थिति की स्वयं–घोषणा पत्र संलग्न करना चाहिए.

5.7 ऐसे उम्मीदवार जो रेल भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती सेल के द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने से आजीवन या किसी विनिर्दिष्ट अवधि, के लिए वर्जित कर दिए गए हों, जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, आवेदन करने के पात्र नहीं हैं.

5.8 आवेदन प्रपत्र के मद संख्या 1, 2 एवं 3 में, उम्मीदवार अपना नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि भरें जो उनके 10वीं/मैट्रिक प्रमाण–पत्र में अंकित विवरणों से मिलान खाता हो.

5.9 उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र पर्याप्त समय लेकर भेजना चाहिए ताकि **अंतिम तिथि को या इससे पहले** इस कार्यालय में पहुँच जाए . रेल भर्ती प्रकोष्ठ/पूर्व मध्य रेल किसी डाक विलम्ब अथवा आवेदनों की गलत सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

5.10 उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के कॉलम 19 में दिए गए स्थान पर, अपनी लिखावट में निम्नलिखत पैरा (घोषणा) की कॉपी करना होगा ''**मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में पूर्ण एवं सत्य है. मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी कोई भी सूचना किसी भी समय गलत/असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरी पात्रता सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी और मुझ पर आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी. मैं इस अधिसूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी**''.

यदि उम्मीदवार आवेदन पत्र के कॉलम 19 में उपर्युक्त पैरा की कॉपी (नकल) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में करता है या कॉपी बिलकुल करता ही नहीं या आधा–अधूरा कॉपी करता है और बॉक्स में जगह खाली छोड़ देता है तो उसका आवेदन केवल इसी आधार पर सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा. दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों को घोषणा लिखने से छूट होगी.

5.11 उम्मीदवार को आवेदन पत्र के नीचे दिए गए स्थान पर आवेदन भरने की तारीख, व स्थान का उल्लेख करना चाहिए और हस्ताक्षर करना चाहिए. आवेदक के हस्ताक्षर विशिष्ट होने चाहिए ताकि उसकी आसानी से नकल नहीं की जा सके. बड़े अक्षरों या खुले अक्षरों में हस्ताक्षर मान्य नहीं होगें और इस प्रकार के हस्ताक्षर वाले या बिना हस्ताक्षरयुक्त (दृष्टिविकलांग उम्मीदवारों को हस्ताक्षर करने से छूट है) आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा. बिना तिथि के या आवेदन जारी होने से पूर्व की तिथि के आवेदन भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे.

5.12 उम्मीदवार को आवेदन प्रपत्र के विनिर्दिष्ट बॉक्स में स्पष्ट और पढ़ने योग्य बॉए अगूँठे का निशान (एलटीआई) देना चाहिए. यदि उम्मीदवार अपनी एलटीआई बिल्कुल नहीं देता है या आंशिक एलटीआई देता है या अस्पष्ट/धब्बायुक्त एलटीआई या ऐसी एलटीआई देता है जो पढ़ने योग्य नहीं है, तो उसका आवेदन केवल इसी आधार पर सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा. पूरे बाएं अंगूठे में स्याही लेने के बाद बिना दबाब डाले, हल्के हाथों से निशान देने पर स्पष्ट एवं पठनीय निशान दिये जा सकते हैं.

6. आवेदन किसे करें:

6.1 अपेक्षित दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन पत्र **सहायक कार्मिक अधिकारी (आरआरसी), रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल, पोलसन कॉम्पलेक्स, दीघाघाट, पटना–800011, बिहार को संबोधित कर साधारण डाक से भेजे जा सकते हैं या रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय, पूर्व मध्य रेल, पोलसन कॉम्लेक्स, दीघाघाट, पटना–800011, में इस उद्‌देश्य के लिए बने आवेदन बॉक्स/कक्ष में (अवकाश के दिन अर्थात शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) सभी कार्यदिवस में डाले जा सकते हैं. दोनो ही स्थिति में अंतिम तिथि 14.10.2013 व समय 18.00 बजे तक निर्धारित है ।**

6.2 आवेदन पत्र वाले **लिफाफे के ऊपर**, ''**पे बैंड–1. ग्रेड वेतन रू. 1800/–में पदों की भर्ती हेतु आवेदन**'', **रोजगार सूचना सं.आरआरसी/ईसीआर/जीपी 1800/1/2013'' अवश्य लिखा होना चाहिए.**
शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को लिफाफे के दायीं ओर शीर्ष पर 'शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार' का उल्लेख करना चाहिए.

6.3 उम्मीदवारों को अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र साधारण डाक के द्वारा भेजना चाहिये ताकि हर हाल में अंतिम तिथि तक उक्त कार्यालय में पहुंच जायें. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर , चाहे जो भी कारण हो, विचार नही किया जायेगा. स्पीड पोस्ट/कूरियर/पंजीकृत लिफाफे की पावती नही दी जायेगी और इसे साधारण डाक से प्राप्त माना जायेगा.

7. सेवारत कर्मचारीः

रेलवे सहित किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उधम/उपकम या अर्द्व प्रशासनिक सरकारी कार्यालयों /संगठनों एंव संस्थानों में सेवारत कोई उम्मीदवार को या तो अपने नियोक्ता द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित सेवा विवरण के साथ उचित माध्यम से या संबद्व नियोक्ता से ''**अनापत्ति प्रमाण पत्र**'' के साथ सीधे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पूर्व मध्य रेल को आवेदन करना चाहियें. इसके आलावा, आवेदन के शीर्ष पर ''**अग्रिम प्रति**'' अंकित करते हुए हर प्रकार से पूर्ण ऐसे आवेदन की अग्रिम प्रति भेजी जाए ताकि वह निर्धारित अंतिम तिथि और समय से पहले रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पूर्व मध्य रेल कार्यालय में पहुंच जाये. आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति पर तभी विचार किया जायेगा जब उचित माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र रेलवे भर्ती

प्रकोष्ठ/पूर्व मध्य रेल के कार्यालय में अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उम्मीदवारों की होगी ।

8. <u>आसाम, मेघालय, मणीपुर, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहोल एवं स्पिति जिले एवं चंबा जिले का पांगी सब–डिविजन तथा अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप समूह के उम्मीदवारः</u>

उक्त वर्णित स्थानों के उम्मीदवारों के लिये अंतिम तिथि 29.10.2013, समय **18.00** बजे तक होगी. ऐसे उम्मीदवारों को उक्त वर्णित स्थानों के उपयुक्त प्राधिकारी से जारी उस स्थान का अधिवास का प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करें कि उम्मीदवार ने उन स्थानों में स्थित स्कूल/कॉलेज से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, संलग्न करना होगा.

9. <u>केवल एक आवेदन</u>ः

प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आवेदन पत्र भेजना चाहिए. एक से अधिक आवेदन भेजने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. यदि ऐसा कोई उम्मीदवार अनजाने में चयनित हो जाता है और बाद में यह पता चलता है कि उसने एक से अधिक आवेदन जमा किया है तो उसे नियुक्ति नहीं दी जाएगी.

10. <u>चयन की प्रक्रिया</u>ः

10.1 **लिखित परीक्षाः** आवेदनों की सरसरी जांच के उपरांत पात्र उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जिसके लिए एक बुलावा पत्र, जिसमें परीक्षा की तिथि, समय और स्थान अंकित होगा उन्हें भेजा जाएगा.

10.1.1 लिखित परीक्षा में दसवीं कक्षा स्तर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्प (4 विकल्प) प्रश्न पत्र शामिल होंगे जिससें सामान्य ज्ञान/जानकारी/ गणित/तर्क परीक्षण आदि का मूल्यांकन हो सके. प्रश्न–पत्र में कुल 100 प्रश्न होगें तथा समयावधि 90 मिनट होगी.

10.1.2 प्रश्न पत्र हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मैथिली में मुद्रित होंगे.

10.1.3 **ऋणात्मक (निगेटिव) अंकण**ः गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक होंगे. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी.

10.2 **शारीरिक दक्षता जांचः** लिखित परीक्षा में सफल पाये गये उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता जांच (पीईटी) आयोजित की जाएगी, सम्पूर्ण पीईटी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी. शारीरिक दक्षता जांच उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जो स्वाभाविक रूप से अर्हक होगा. पीईटी के लिए मापदंड निम्नानुसार हैः

पुरूष उम्मीदवारों के लिए	महिला उम्मीदवारों के लिए
एक मौका में चार मिनट पंद्रह सेकेंड में एक हजार मीटर (1000 मीटर) की दूरी दौड़ने योग्य होना चाहिए	एक मौका में तीन मिनट दस सेकेंड में चार सौ (400 मीटर) की दूरी दौड़ने योग्य होना चाहिए

10.2.1 शारीरिक दक्षता जांच (पीईटी) के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या समुदायवार रिक्तियों की संख्या के बराबर या वर्तमान नियमों के अनुसार उसकी तीन गुणा होगी. लिखित परीक्षा में योग्यता कम से उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता जांच (पीईटी) के लिए बुलाया जाएगा. एक अलग बुलावा पत्र, जिसमें तिथि, समय और स्थान अंकित होगा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता जांच (पीईटी) में सम्मिलित होने के लिए भेजा जाएगा.

10.2.2 **शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को पीईटी में शामिल होने से छूट होगी**.

10.3 **दस्तावेज सत्यापन एवं अभ्यर्थिता जांचः** शारीरिक दक्षता जांच में सफल उम्मीदवारों में से लिखित परीक्षा की मेरिट (योग्यता) के आधार पर शार्टलिस्टेड उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं अभ्यर्थिता जांच हेतु बुलाया जाएगा. इस चरण में बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या समुदायवार रिक्तियों की संख्या के बराबर या वर्तमान नियमों के अनुसार उसकी 1.2 गुणी होगी. इस प्रकार यह संभव है कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता जांच में सफलता प्राप्त करने के उपरांत भी लिखित परीक्षा में कम प्राप्तांक के कारण योग्यता कम में नीचे रहे उम्मीदवारों को इस चरण में शामिल नहीं किया जा सके.

10.4 **चिकित्सकीय जांच**ः दस्तावेज सत्यापन एवं अभ्यर्थिता जांच के उपरांत योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को चिकित्सकीय जांच हेतु भेजा जाएगा. चिकित्सकीय जांच में शामिल किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या समुदायवार रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी. इस प्रकार यह संभव है कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता जांच में सफल रहे एवं दस्तावेज सत्यापन तथा अभ्यर्थिता जांच में भी योग्य पाए गए कुछ उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर योग्यता कम में नीचे रहने के कारण चिकित्सकीय जांच में शामिल नहीं किए जा सकें.

10.5 शारीरिक दक्षता जांच सहित चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी उम्मीदवार को होने वाले नुकसान/आहत/क्षति चाहे वह प्रत्यक्ष या परिणामस्वरूप हो, के लिए के लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पूर्व मध्य रेल जिम्मेदार नही होगा । अतएव, उम्मीदवारों को अपने हित में यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक या अन्य रूप से चयन में शामिल होने के लिए फिट (उपयुक्त) हैं और चयन प्रक्रिया के दौरान स्वयं या अन्य को किसी प्रकार आहत/नुकसान/क्षति पहुँचाने से बचने के लिए उचित ध्यान देते हैं.

10.6 अंतिम भर्ती पैनल पूर्णतः लिखित परीक्षा में प्राप्त योग्यता क्रम पर आधारित होगा.

11. सामान्य शर्तें :

11.1 पद के लिए आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वे पात्रता की सभी मानदंडों को पूरा करते है. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले आवेदन पत्रों को रेल भर्ती प्रकोष्ठ/पूर्व मध्य रेल द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा और यदि त्रुटिवश नियुक्ति की जाती हो तो ऐसे उम्मीदवारों को सरसरी तौर पर सेवा से हटा दिया जाएगा.

11.2 चयनित अभ्यर्थियों को पूर्व मध्य रेल पर कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है. इस संबंध में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा.

11.3 प्रारंभिक नियुक्ति पर परिलब्धियॉ यथास्वीकार्य न्यूनतम पे बैंड 1. ग्रेड पे रू. 1800/– देय अन्य भत्ते पर होगी.

11.4 महिला उम्मीदवार भी पात्र हैं लेकिन वे नोट कर लें कि ड्यूटी की प्रकृति कठिन है और उन्हें आउट–डोर ड्यूटी करनी पड़ सकती है.

11.5 अनारक्षित रिक्तियों के लिए सभी उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा चाहें वे किसी भी समुदाय के हों। हालॉकि, विशिष्ट समुदाय कोटे की रिक्तियों के लिए, केवल उसी समुदाय विशेष के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा तथा उम्मीदवार के समुदाय में बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रतिवेदन पर किसी भी स्थिति में विचार नही किया जायेगा.

11.6 चयनित व नामिकाबद्व होने मात्र से उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा

11.7 भर्ती के सभी स्तरों पर उम्मीदवारों का प्रवेश पूर्णतः औपबंधिक होगा बशर्तें कि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों.

11.8 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल के पास किसी भी स्तर पर परीक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन करने या पीईटी/लिखित परीक्षा पुनः आयोजित करने या भर्ती की किसी प्रक्रिया के आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है.

11.9 किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की क्षति/हानि अथवा परीक्षा शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा.

11.10 चिकित्सा जांचः नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता जांच में सफल होना पड़ेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार पद से जुड़े कार्यों के निर्वहन के लिए चिकित्सीय रूप से उपयुक्त है. केवल चिकित्सीय रूप से उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों की ही नियुक्ति की जाएगी.

11.11 चिकित्सीय जांच में अनुपयुक्त पाए जाने पर, उच्चतर चिकित्सीय वर्गीकरण वाले किसी विशेष कोटि के पद के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के मामलें में निम्नतर चिकित्सीय वर्गीकरण वाले वैकल्पिक पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा.

12. **आवेदन के अनुलग्नकः**

आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी के द्वारा केवल निम्नलिखित संलग्नकों की **स्वअभिप्रमाणित** छायाप्रतियां संलग्न की जानी चाहिये. **मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाएं**. ऐसे सभी संलग्न प्रमाण पत्र जो हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में हों तो उनका हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाना चाहिये तथा मूल प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न की जानी चाहिये ।

12.1 बिना टोपी एवं धूप या रंगीन चश्मा पहने पासपोर्ट आकार के एक फोटोग्राफ (एक माह से अधिक पुराना न हो) को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपकाया जाना है (स्टेपल या पिन से संलग्न न करें).

12.2 परीक्षा शुल्क हेतु रू. 100/– का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जहां कहीं भी लागू हो.

12.3 जन्म तिथि के सबूत के तौर पर केवल 10वीं कक्षा/मैट्रिक उत्तीर्ण या स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा.

12.4 शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के सबूत में प्रमाण पत्र.

12.5 अजा/अजजा/अपिव समुदायों के उम्मीदवारों के लिए जाति (समुदाय) प्रमाण पत्र.

12.6 अपिव उम्मीदवारों से गैर क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र.

12.7 पीएच कोटा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए शारीरिक अशक्तता प्रमाण पत्र.

12.8 शुल्क में रियायत का लाभ लेने वाले आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र.

12.9 शुल्क में रियायत का लाभ लेने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए स्वघोषणा पत्र.

12.10 भूतपूर्व सैनिक एवं सरकारी सेवकों , उपयुक्त प्रधिकारी द्वारा प्रदत्त अविरत सेवा प्रमाण–पत्र जो स्वयं द्वारा सत्यापित हो.

13. <u>अमान्य आवेदन पत्रः</u>

निम्नलिखित कमियों वाले आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा. (यह सूची केवल सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं)

13.1 अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन.

13.2 भारतीय पोस्टल ऑर्डर ,जहॉं अपेक्षित हो, संलग्न नहीं किया गया हो अथवा यह अधिसूचना की तिथि से पूर्व जारी किया गया हो अथवा निर्धारित राशि रू. 100/– से कम राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर दिया गया हो.

13.3 आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं हो (ए–4 साइज, एक पृष्ठ में 24 मदें) अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण हो. आवेदन प्रपत्र का मद संख्या 1, 2, 3, 7, 14, 16, 19, 21, 22 या 23 में से किसी के भी रिक्त रहने पर आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य/अस्वीकृत कर दिया जायेगा. केवल दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों को मद संख्या 19 एवं 23 भरने से छूट होगी. एक से अधिक पन्नों के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं माने जाएंगे.

13.4 ऐसे आवेदन पत्र जिसपर अपेक्षित फोटो न हों/फोटो नहीं चिपकाया गया हो/फोटो की छायाप्रति चिपकायी गयी हों. टोपी या धूप का चश्मा (गॉगल्स) पहने फोटोग्राफ आवेदन पत्र के निर्धारित बॉक्स में फोटो चिपकाया जाना (स्टेपल या पिन न करें) आवश्यक है. निर्धारित बॉक्स में फोटोग्राफ चिपका न होने की स्थिति में आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा भले ही यह आवेदन पत्र के किसी अन्य हिस्से में लगाया गया हो या संलग्नकों में दर्शाया गया हो,

13.5 उम्मीदवार आवेदन की तिथि को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता नहीं रखता हो. शैक्षिक आवेदन प्रमाण पत्र यदि हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में जारी किया गया हो, उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अंग्रेजी/हिन्दी में अनुवादित प्रति अवश्य संलग्न किये जाएं, अन्यथा आवेदन को यह समझकर सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा कि वे बिना संलग्नक के हैं.

13.6 उम्मीदवार **दिनांक 01.01.2014** को कम उम्र या अधिक उम्र का हो.

13.7 एक ही उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन दिया गया हो. इस स्थिति में ऐसे सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

13.8 ऐसे आवेदन जिस पर उम्मीदवार द्वारा घोषणा (आवेदन प्रपत्र के मद संख्या 19 के साथ मुद्रित एवं इस अधिसूचना के पैरा 5.10 में उल्लेखित) उनकी अपनी हस्तलिपि में उपयुक्त/चिन्हित जगह में नहीं लिखी गई हो.

13.9 उम्मीदवार के हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र. हस्ताक्षर यदि केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किए जाते हैं तब उन्हें हस्ताक्षर रहित मानते हुए आवेदन अमान्य किया जाएगा.

13.10 बायें हाथ के अंगूठा का निशान/छाप नहीं लगाया गया हो या अस्पष्ट/धब्बे/आंशिक रूप में/अपठनीय हो.

13.11 पैरा 12 में वर्णित अपेक्षित अनुलग्नकों की प्रतियॉं संलग्न न हो.

13.12 एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्रों का होना.

13.13 वैसे आवेदन जो सहायक कार्मिक अधिकारी(आरआरसी), रेल भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल, पोलसन कॉम्पलेक्स, दीघाघाट, पटना–800011 को संबोधित न हों

13.14 वैसे आवेदन जो हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न भाषा में भरे गये हों.

13.15 अन्य अनियमितता/कमी, जिसे रेल भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा अमान्य समझा और पाया गया हो.

14. <u>कदाचार में दोषी पाये गये उम्मीदवारों के विरूद्व कार्रवाईः</u>

14.1 उम्मीदवारों को स्पष्ट सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय ऐसा कोई गलत विवरण न दें या महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएं.

14.2 उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने हित में किसी प्रकार के राजनीतिक या अन्य प्रभाव का प्रयोग या प्रयोग करने का प्रयास न करें.

14.3 भर्ती प्रक्रिया के किसी भी भाग में उम्मीदवार की ओर से कदाचार पूरी तरह निषिद्व है.

14.4 उपर्युक्त कार्य में संलिप्त होने पर किसी भी समय पात्रता अस्वीकृत कर दी जायेगी.

14.5 चयन प्रक्रिया के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने या परीक्षा केन्द्रों पर दुर्व्यवहार करने के दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों के विरूद्व रेल भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आपराधिक कार्रवाई सहित नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी.

14.6 मिथ्या/जाली/छेड़छाड़ किए गए प्रमाण पत्र जमा करने के दोषी पाए जानेवाले उम्मीदवारों को रेलवे की परीक्षाओं में शामिल होने से तथा रेलवे में नियुक्ति पाने से 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त उनके विरूद्व कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

14.7 चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पररूपधारण का सहारा लेने वाले उम्मीदवारों को रेलवे की परीक्षाओं में शामिल होने से तथा रेलवे में नियुक्ति पाने से आजीवन प्रतिबंधित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त उनके विरूद्व कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

15. <u>टिप्पणी</u>ः

15.1 **रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल के अधिकारिक वेबसाइट www.rrcecr.gov.in** पर भी रोजगार अधिसूचना, आवेदन प्रपत्र एवं परिशिष्टों की प्रति उपलब्ध है.

15.2 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य–संदर्भ के लिए भरे हुए आवेदन पत्र की एक छायाप्रति सुरक्षित रखें.

15.3 किसी भी कानूनी विवाद के लिए अधिकार क्षेत्र केवल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना होगा.

15.4 किसी भी विवाद की स्थिति में रोजगार सूचना के अंग्रेजी रुपान्तर को वैध माना जाएगा.

15.5 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल को किसी भी असावधानीवश त्रुटि या गलती के सुधार का अधिकार होगा.
15.6 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ मुद्रण भूल के लिए जिम्मेवार नहीं होगा.

16. <u>निःशुल्क रेल यात्रा पास :–</u>

केवल अजा/अजजा के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा /शारीरिक दक्षता जांच में सम्मिलित होने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन से परीक्षा स्थल तक एवं वापसी के लिए एक निःशुल्क द्वितीय श्रेणी रेलवे पास जारी किया जायेगा.

17. <u>रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम होगाः–</u>

पात्रता, आवेदन पत्रों की स्वीकृति या अस्वीकृति, निःशुल्क रेल पास जारी करने, गलत सूचना के लिए दंड, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा–संचालन, परीक्षा केन्द्र का आवंटन, चयनित उम्मीदवारों को पद/स्थानों का आवंटन और भर्ती प्रक्रिया संचालन से संबंधित सभी मामलों में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल का निर्णय उम्मीदवारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा.

18. <u>आवश्यक सावधानी :</u>

किसी प्रभाव या अनुचित प्रयोग या अनैतिक तरीकों के माध्यम से रेलवे में नौकरी प्राप्त करने के लिए गलत वादे करके उम्मीदवारों को धोखा देने का प्रयास करने वाले दलालों, भर्ती रैकेट चलाने वाले और छद्मरूपधारकों से उम्मीदवार सावधान रहें. रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल की एकमात्र प्राधिकृत वेबसाइट www.rrcecr.gov.in है जहॉ भर्ती के संबंध में समय–समय पर सूचनाएं दी जातीं है. कृपया किसी अन्य वेबसाइट पर न तो विश्वास करें और न कार्य करें. उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः योग्यता के आधार पर किया जायेगा. कृपया अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न फॅसें.

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल

परिशिष्ट – 1

आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया विस्तृत रोजगार सूचना को पढ़ें जो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल के बेबसाइट www.rrcecr.gov.in पर उपलब्ध है

पूर्व मध्य रेल पर पे बैंड – 1 के वेतनमान 5200–20200 + ग्रेड पे रू. 1800 में भर्ती के लिए आवेदन प्रपत्र (ए–4 आकार के एक ही पृष्ठ में भरें)

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल	केवल कार्यालय उपयोग के लिए
	कंट्रोल संख्याः
रोजगार सूचना संख्या आरआरसी/ईसीआर/जीपी 1800/1/2013	अनुक्रमांकः

1	उम्मीदवार का नामः (यदि अंग्रेजी में भरा जा रहा हो, तो बड़े अक्षरों में भरें, नाम के दो भागों के बीच एक बॉक्स खाली छोड़ें)		कृपया हाल का बिना अभिप्रमाणित किया हुआ रंगीन फोटो चिपकाए जो 1 माह से अधिक पुराना न हो। टोपी पहने या रंगीन चश्मा लगाया हुआ फोटो नहीं लगाएं। कृपया पिन या स्टेपल न करें।
2	पिता/पति का नामः (यदि अंग्रेजी में भरा जा रहा हो, तो बड़े अक्षरों में भरें, नाम के दो भागों के बीच एक बॉक्स खाली छोड़ें)		

24. उम्मीदवार का हस्ताक्षर

3	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) 10वीं/मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार	दिन	माह	वर्ष	4	समुदाय (कृपया √ करें)	अना	ओबीसी	अजा	अजजा	भूतपूर्व सैनिक

5	क्या आप शारीरिक रूप से अशक्त हैं, कृपया √ करें	वी एच		एच एच		ओ एच		6	क्या आपको प्रतिलेखक की आवश्यकता है, कृपया √ करें	हॉ	नहीं	

केवल वीएच एवं सेरेब्रल पाल्सी के मामलों में

7 पत्राचार का पता (बड़े अक्षरों में)

नामः

पताः

पिन कोड

8	शारीरिक अशक्तता का प्रतिशत	
9	राष्ट्रीयता	
10	धर्म	
11	लिंग	पुरूष ☐ महिला ☐
12	राज्य	
13	नजदीकी रेलवे स्टेशन का नाम	

14	पहचान के लायक दो शारीरिक चिन्ह (शरीर पर तिल, कटे, घाव आदि का निशान)	(i)
		(ii)

15 क्या आप निम्न वर्णित कोटियों के तहत आयु में छूट चाहते हैं (कृपया संबंधित कोटि में √ करें)

अजा	अजजा	ओबीसी	शारीरिक रूप से अशक्त	भूतपूर्व सैनिक	जम्मू कश्मीर आदि के अधिवासी उम्मीदवार	कोर्स कम्पलीटेड एक्ट अप्रेंटिस	न्यायायिक रूप से तलाकशुदा महिला/विधवा	सेवारत रेलवे कर्मचारी

16 संलग्न दस्तावेजों की सूची (स्वंय अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की संलग्न प्रति का विवरण भरें)

(i)	(ii)	(iii)
(iv)	(v)	(vi)

17 शैक्षणिक योग्यता (कृपया संबंधित कोटि में √ करें)

एसएसएलसी मैट्रिक	एचएचसी एसएससी	आईटीआई सीओई	डिप्लोमा	गैर तकनीकी		तकनीकी	
				स्नातक	स्नातकोत्तर	स्नातक	स्नातकोत्तर

18 आवेदन पत्र के साथ संलग्न आइ.पी.ओ का विवरण या लिखें **शुल्क अदा करने से छूट प्राप्त**

डाकघर का नाम	आइपीओ का क्रम	दिनांक	राशि

19 उम्मीदवार द्वारा घोषणा (नीचे बॉक्स में दिए गए उद्धरण को अपनी हस्तलिपि में कॉपी करें)

मैं एतत् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में पूर्ण एवं सत्य हैं। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी कोई भी सूचना किसी भी चरण में गलत/असत्य पायी जाती है तो मेरी पात्रता सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दी जायेगी और मुझ पर आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। मैं अधिसूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी।

20. स्थानः		**अंग्रेजी में**	**हिंदी या प्रादेशिक भाषा में**
21. दिनांकः	**22. बाएं हाथ के अंगूठे का स्पष्ट निशान**	**23. उम्मीदवार के हस्ताक्षर**	